



Shri Naveen Jain (Mayor)



**Shri Arun Prakash
(Municipal Commissioner)**



**Shri Kunwar Bahadur Singh
(Additional Municipal
Commissioner)**



Agra Nagar Nigam Near Sur Sadan, M.G.Road, Agra
E-Mail-amcagra1@gmail.com

माह फरवरी 2020 में आगरा नगर निगम की संस्था ईको फ्रैन्ड्स वेलफेर सोसायटी एवं ग्रीन हैन्ड्स द्वारा नगर निगम की टीम के साथ मिलकर किचन के वेस्ट से कम्पोस्ट बनाना सिखाया एवं कम्पोस्ट बिन्स भी वितरित किए।



E-News Letter February | 2020



E-News Letter February | 2020



आगरा नगर निगम की टीम द्वारा फरवरी माह में अतिक्रमण के लिये की गयी कार्यवाही
हटाये गये अवैध अतिक्रमण का स्थल / स्थान



दिनांक 03.02.2020:-स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम, एस0एफआई श्री परमानन्द के सहयोग से कैलाठा मोड़ से पुलिस थाना सिकन्दरा तक सड़क के दोनों ओर नगर निगम आगरा के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में 21 अस्थायी टीन भोड़/खोखे को ध्वस्त करते हुये अतिक्रमण शमन शुल्क धनराष्ट्री— 45,000/- तथा 150 ग्राम प्रतिबन्धित पॉलिथीन को जब्त कर पॉलिथीन शमन शुल्क धनराष्ट्री— 2000/- कुल शमन शुल्क धनराष्ट्री ₹0—47,000/- वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया।



दिनांक 04.02.2020:- स्थानीय नागरिकों /दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने तथा भाहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हो रही डेयरी/तबेलों एंव गाय भैसों द्वारा की जा रही गंदगी की रोकथाम हेतु ए०सी०एम (पांच) श्री वीरेन्द्र कुमार मित्तल, प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम, एस०एफआई श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री नीरज सिंह तथा पुलिस बल के सहयोग से नालबन्द चौराहा पर, एम०एम०गेट, तथा नूसी दरवाजा बाजार में नगर निगम आगरा के नेतृत्व में छापामारी/अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही की गयी। की गयी कार्यवाही में 02 अस्थायी खोखे को ध्वस्त करते हुये अतिक्रमण शमन शुल्क धनराप्ति—35,000/- गाय भैसों द्वारा की जा रही गंदगी पर प०जुपालकों से भामन भुल्क धनराप्ति—27,000/- तथा कोयले की भट्टी जलाने पर मा० एन०जी०टी के तहत शमन शुल्क धनराप्ति र०—80,000/- कुल भामन भुल्क धनराप्ति— 1,42,000/- वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा करायी गया।



दिनांक 06.02.2020:- अवैध रूप से कोयला भट्टी का प्रयोग कर पेठे बनाने बाली फैक्ट्रीयों पर ए०सी०एम (पांच) श्री वीरेन्द्र कुमार मित्तल तथा ए०सी०एम (प्रथम) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम, एस०एफआई श्री परमानन्द, पुलिस बल के सहयोग से सिकन्दरा क्षेत्र में नगर निगम आगरा के नेतृत्व में छापामार कार्यवाही की। कृत कार्यवाही में सिकन्दरा क्षेत्र में उमा कुंज गली नं० 09 में अवैध रूप से संचालित पेठे बनाने बाली फैक्ट्री पर कोयले की भट्टी का प्रयोग करते हुये पाये जाने पर मा० एन०जी०टी के तहत भामन भुल्क र० 25,000/- वसूला गया तथा पीवा कुंज बी० राम पब्लिक स्कूल के पास, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 15 एंव 19 के अन्तर्गत ए०सी०एम० (प्रथम) महोदय के आदेशानुसार एक फैक्ट्री को सील किया गया।



दिनांक 07.02.2020:- भाहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से जूता बनाने वाली फैक्ट्रीयों पर पर ए०सी०एम (तृतीय) श्री महेन्द्र कुमार सिंह, प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम, एस०एफआई श्री मुकेभा कुमार, श्री योगेन्द्र कुभावाहा तथा पुलिस बल के सहयोग से रुई की मण्डी भाहगंज क्षेत्र में नगर निगम आगरा के नेतृत्व में छापामारी अभियान की कार्यवाही की गयी। कृत कार्यवाही में अवैध रूप से आवासीय क्षेत्र में जूते बनाने के कारखाना संचालित हो रहे थे जिसके चलते मा० एन०जी०टी के अन्तर्गत भामन भुल्क रु० 75,000/- वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया।





दिनांक 10.02.2020:- प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम, सी0एस0एफ0आई श्री हरीगंकर, श्री अमान भाहिद के सहयोग से नगर निगम आगरा के नेतृत्व में प्रात्पग्राम रोड तथा भामसाबाद रोड पर छापामार/अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में भामसाबाद रोड पर स्थित राज मिल्क प्रोडक्ट एण्ड स्वीट्स की दुकान पर छापा मारा तथा 2 कुन्तल 23 किंग्रा 0 प्रतिबंधित पॉलिथीन/प्लास्टिक के गिलासों को जब्त करते हुये नगर निगम (निर्माण स्टोर) में जमा कराया एंव पॉलिथीन भामन भुल्क रु0 25,000/- वसूला। तथा प्रात्पग्राम रोड पर स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये 01 स्थायी अतिक्रमण को हटाते हुये अतिक्रमण भामन भुल्क रु0 8,100/- कुल भामन भुल्क रु0 33,100/- वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया। साथ ही फतेहाबाद रोड पर पंजाब एण्ड सिंध बैंक भाखा के बाहर नगर निगम नाले पर अनाधिकृत रूप से चल रही चाय की दुकान को हटवाते हुये सामान को जब्त कर निर्माण स्टोर में जमा कराया गया।



दिनांक 11.02.2020:- प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम, तकनीकी अमीन श्री भीकमपाल के सहयोग से नगर निगम आगरा के नेतृत्व में कमला नगर, सरयू कॉलोनी में अभियान चलाया। चलाये गये अभियान में स्थानीय निवासी द्वारा अवैध रूप से बनाये जा रहे निर्माणाधीन काम को रुकवाया एंव चेतावनी दी। साथ ही सिकन्दरा क्षेत्र में एस0एफ0आई श्री परमानन्द के सहयोग से भिवा कुंज, बी० एम पब्लिक स्कूल के पास पेठे की फैकट्री पर कोयले की भट्टी जलाते हुये पाये जाने पर मा० एन०जी०टी के अन्तर्गत रु० 15,000/- वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया।



दिनांक 12.02.2020:- प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स, एस०एफआई श्री परमानन्द तथा श्रीमती नुपुर सिंह के सहयोग से नगला बघेल रोड दयालबाग क्षेत्र में अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। चलाये गये अतिक्रमण अभियान की कार्यवाही में स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध 12 स्थायी रैम्प तथा 17 अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुये अतिक्रमण शमनशुल्क धनरापि रु०—80,000/- वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया। साथ ही जनसुनवाई से प्राप्त प्राकायत का निस्तारण कराते हुये नगलापदी में एक अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया गया।



दिनांक 13.02.2020:- प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स, सी०एस०एफआई श्री अमान भाहिद के सहयोग से फतेहाबाद रोड स्थित भान्ति मांगलिक हॉस्पीटल के आस-पास नगर निगम आगरा के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में भान्ति मांगलिक हॉस्पीटल के मैन गेट के सामने बने हुये अवैध स्थायी बगीची टाइप अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया साथ ही उक्त हास्पीटल के आस-पास लगे हुये ठेल ढकेलो को भी हटाया गया।



दिनांक 14.02.2020:- प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स, तकनीकी अमीन श्री भीकमपाल सिंह एंव अधिकारी अभियन्ता श्री अजीत सिंह के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में मौजा नरायच गाटा संख्या—1292 में सर्वेयर के माध्यम से 15000 हेक्टर भूमि का चिन्हांकन किया गया।



दिनांक 15.02.2020:- टेड़ी बगिया, विकास नगर, सब्जी मण्डी मार्ग की नाली के ऊपर स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को

हटाने हेतु तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीनों का प्रयोग किये जा रहे विक्रय को रोकने हेतु प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम, अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री अर्जुन भार्मा, अवर अभियन्ता श्री आर०बी०प्रसाद, एस.एफ.आई श्री डी०के० अग्रवाल, श्री प्रदीप गौतम तथा पुलिस बल के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में अवैध 42 स्थायी रैम्प तथा 17 अस्थायी अतिक्रमण (टीनभोड़/खोखे) को ध्वस्त करते हुये 1 किलो 800 ग्राम पॉलीथीन को जब्त किया तथा पॉलीथीन के विरुद्ध वसूला गया भामन भुल्क रु० 14,500/- तथा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध भामन भुल्क रु० 6,500/- कुल भामन भुल्क रु० 21,000 की धनराशि वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गयी। साथ ही अजीत नगर गेट से खेरिया मोड़ तक मुख्य अभियन्ता (वि/यॉ) श्री संजय कुमार कटियार के सहयोग से पोलो पर लगे डिंडा केबिल को हटवाया गया। तथा रात्रि मे 8.30 से 2.00 बजे तक अजीत नगर गेट से ताजमहल पूर्वी गेट तक अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों, अवैध होर्डिंग्स को हटाने हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय (नगर), ए०सी०एम० महोदय आर०आई श्री वैभव यादव व तथा पुलिस बल के सहयोग से सहायक नगर आयुक्त महोदय एंव कर्नल ए०के०सिंह (से०नि०) के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये सड़क साइड पटरी पर किये गये अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया एंव अवैध बैनर/होर्डिंगों इत्यादि को हटवाया गया। तथा चेतावनी भी दी कि वह स्वयं अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा नगर निगम द्वारा उक्त सामान को जब्त कर लिया जायेगा एंव जुर्माना भी वसूला जाएगा।



दिनांक 16.02.2020:- साथ ही कल दिनांक 16.02.2020 को प्रातः 10.30 से रात्रि 12.45 तक ईदगाह बस स्टैण्ड के आस-पास, अजीत नगर गेट से रेलवे पुल तक, तथा फतेहाबाद रोड पर होटल ताजबू से लेकर ताजमहल पूर्वी गेट तक स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा किये गये अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों, अवैध होर्डिंग्स को हटाने हेतु तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीनों का प्रयोग

किये जा रहे विक्रय को रोकने हेतु प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम, आरओआई श्री वैभव यादव, सीओएस0एफ0आई श्री अमान भाहिद, एस0एफ0आई श्री दिनेंगा कुमार बिरानिया, श्री मनोज कुमार तथा पुलिस बल के सहयोग से महोदय एंव सहायक नगर आयुक्त महोदय एंव कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में अवैध 28 स्थायी तथा 52 अस्थायी अतिक्रमण (टीनभोड़/खोखे) को ध्वस्त करते हुये 8 किंग्रा पॉलीथीन को जब्त किया तथा पॉलीथीन के विरुद्ध वसूला गया भामन भुल्क रु0 94,500/- तथा कोयले की भट्टी का प्रयोग करने पर मा0एन0जी0टी के विरुद्ध भामन भुल्क रु0 1,31,000/- तथा गन्दगी करने के विरुद्ध भामन भुल्क 8,200/- कुल भामन भुल्क रु0 2,33,700 की धनराप्ति वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गयी।



दिनांक 17.02.2020:- ईदगाह बस स्टैण्ड के आस-पास, अजीत नगर गेट से रेलवे पुल तक, तथा फतेहाबाद रोड पर होटल ताजव्य से लेकर ताजमहल पूर्वी गेट तक सड़क के दोनों ओर प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम एंव विज्ञापन विभाग के सुपरवाईजर श्री विमलेंगा सिंह के सहयोग से नगर निगम आगरा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में मार्गों में पड़ने वाले समस्त होर्डिंग्स और बैनरों को हटाया गया एंव सी0एस0एफ0आई श्री अमान भाहिद के सहयोग से फतेहाबाद रोड पर स्थानीय दुकानदारों से कोयले की भट्टी जलाने पर मा0 एन0जी0टी के अन्तर्गत रु0 8000/- का भामन भुल्क वसूला गया।



18.02.2020:- फतेहाबाद रोड पर अजीत नगर गेट से होटल ताजव्य होते हुये ताजमहल पूर्वी गेट तक सड़क के दोनों ओर प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम आरओआई श्री वैभव यादव विज्ञापन विभाग के सुपरवाईजर श्री विमलेंद्र सिंह के सहयोग से कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में मार्गों में पड़ने वाले समस्त होर्डिंग्स और बैनरों को हटावाया गया।



19.02.2020:- फतेहाबाद रोड पर अजीत नगर गेट से होटल ताजमहल पूर्वी गेट तक सड़क के दोनों ओर प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम आरओआई श्री वैभव यादव विज्ञापन विभाग के सुपरवाईजर श्री विमलेंद्र सिंह के सहयोग से कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में मार्गों में पड़ने वाले समस्त होर्डिंग्स और बैनरों को हटावाया गया। साथ ही एस0एफ0आई श्री संजीव यादव के सहयोग से अतिक्रमण अभियान में भामन भुल्क रु0 12,000/-वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया।



20.02.2020:— फतेहाबाद रोड पर अजीत नगर खेरिया मोड़ से ईदगाह बस स्टैण्ड व उसके आस—पास सड़क के दोनों ओर प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम आरओआई श्री वैभव यादव विज्ञापन विभाग के सुपरवाईजर श्री विमलेंगा सिंह के सहयोग से महोदय एंव कर्नल ए०के०सिंह (से०नि०) के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में मार्गों में पड़ने वाले समस्त होर्डिंग्स, बैनर एंव रूफटॉप तथा पोलों पर अवैध रूप से लगी हुयी डिभा केबिलों एंव पोलों को हटाया गया एंव सफाई कार्य भी पूर्ण कराया गया।



21.02.2020:— फतेहाबाद रोड पर अजीत नगर गेट से सोना नगर पुलिया तक एंव पील्पुराम मेला के आस—पास स्थानीय नागरिकों/दुकानदारों द्वारा प्रतिबन्धित पॉलीथीनों का प्रयोग किये जा रहे विक्रय को रोकने एंव गन्दगी की रोकथाम हेतु तथा अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों, अवैध होर्डिंग्स को हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट

टॉस्क फोर्स टीम, सी0एस0एफ0आई श्री हरी॥ंकर यादव, एस0एफ0आई श्री मनोज कुमार तथा पुलिस बल के सहयोग से सहायक नगर आयुक्त महोदय एंव कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0)के नेतृत्व मे अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में 2 किलो 60 ग्राम प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक के गिलास आदि को जब्त करते हुये पॉलीथीन भामन भुल्क रु0 24,300/- तथा गन्दगी करने के विरुद्ध भामन भुल्क 15,500/- कुल भामन भुल्क रु0 39,800 की धनराशि वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गयी।



22.02.2020:- फतेहाबाद रोड पर अजीत नगर खेरिया मोड़ से ईदगाह बस स्टैण्ड व उसके आस-पास सड़क के दोनों ओर प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम आर0आई श्री वैभव यादव विज्ञापन विभाग के सुपरवाईजर श्री विमले॥ा सिंह के सहयोग से महोदय एंव प्रभारी प्रवर्तन दल के नेतृत्व मे अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में मार्गों में पड़ने वाले समस्त होर्डिंग्स, बैनर एंव रुफटॉप तथा पोलों पर अवैध रूप से लगी हुयी डिभा केबिलों एंव पोलों को हटवाया गया एंव साथ ही एस0एफ0आई श्री मनोज कुमार के सहयोग से खेरिया मोड़ पर स्थानीय दुकानदारों से प्रतिबन्धित पॉलिथीन के विरुद्ध भामन भुल्क रु0 8000/-वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया।



23.02.2020:- ताजमहल पूर्वी गेट पर स्थानीय दुकानदारों द्वारा प्रतिबन्धित पॉलीथीन का प्रयोग किये जा रहे विक्रय को रोकने हेतु एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम, सी0एस0एफ0आई श्री अमान भाहिद के सहयोग से प्रभारी प्रवर्तन दल के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में 5 कि0ग्रा0 प्रतिबन्धित पॉलीथीन को जब्त करते हुये पॉलीथीन भासन भुल्क ₹0 50,000/- वसूल कर नगर निगम आगरा कोश में जमा कराया गया।



26.02.2020:- प्रवर्तन दल / एन्फोर्समेन्ट टॉस्क फोर्स टीम के सहयोग से कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में ताज महोत्सव प्लाट्फ्राम रोड पर सांयकलीन 05.30 बजे से रात्रि 09.30 बजे तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में स्थानीय दुकानदारों द्वारा सड़क एंव फुटपाथ पर लगे हुये अवैध ठेल ढकेलों को हटवाया गया।

तथा चेतावनी दी कि वह स्वयं किये गये अतिक्रमण को हटा ले अन्यथा नगर निगम द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया जायेगा एंव जुर्माना भी वसूला जायेगा।



27.02.2020:- प्रवर्तन दल / एन्फोर्समेंट टॉस्क टीम, अभियंत्रण विभाग के अवर अभियन्ता श्रीमती पूनम कुमारी के सहयोग से कर्नल ए0के0सिंह (से0नि0) के नेतृत्व में सेक्टर-5 आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा आगरा में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान में स्थानीय नागरिकों द्वारा बनायी गयी 28 स्थायी रैम्पों को ध्वस्त किया गया। साथ ही अवगत कराना है कि खेरिया मोड़ ईदगाह चौराहे से पील्पुण्ड्रा तक स्थानीय दुकानदारों द्वारा सड़क एंव फुटपाथ पर लगे हुये अवैध ठेल ढकेलों को हटवाया गया तथा चेतावनी दी कि वह स्वयं किये गये अतिक्रमण को हटा ले अन्यथा नगर निगम द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया जायेगा एंव जुर्माना भी वसूला जायेगा एंव मुगलरोड पर के0टी0एल सर्विस सेन्टर द्वारा सड़कों पर अवैध रूप से कारों को खड़ा करके अवैध कब्जा किया जा रहा था जिसे प्रवर्तन दल के सहयोग से हटवाया गया।



28.02.2020:— न्यू आगरा स्थित भवन संख्या —B-21, B-27, B-28 एवं B-29 के स्वामीयों को सड़क पर व सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत रूप से घेरते हुये पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम के सहयोग से भवन स्वामीयों को नोटिस दिया एंव चस्पा किया गया तथा चेतावनी दी कि वह स्वयं स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटा ले अन्यथा नगर निगम आगरा द्वारा अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया जायेगा एंव भामन भूल्क भी वसूला जायेगा। साथ ही अवगत कराना है की रात्रि 09.00 बजे से 01.45 तक प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम, आरओआई श्री वैभव यादव के सहयोग से अमर होटल के सामने से 01 यूनिपोल और बसई सब्जी मण्डी के पास से 01 यूनिपोल कुल 2 यूनिपोलों को हटवाया गया।



29.02.2020:— प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम, आरओआई श्री वैभव यादव एंव पुलिस बल के सहयोग से सहायक नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में सुभाश पार्क सरस्वती मिठामन्दिर के पास अवैध कब्जे को हटाने हेतु अभियान चलाया। चलाये गये अभियान में मकान के आगे निकले हुये छज्जे को ध्वस्त किया गया एंव चेतावनी दी।

साथ ही न्यू आगरा स्थित भवन संख्या –B-21, B-27, B-28 एवं B-29 के स्वामीयों को सड़क पर व सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत रूप से घेरते हुये पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा हटाने हेतु प्रवर्तन दल/एन्फोर्समेंट टॉस्क फोर्स टीम के सहयोग से सड़क की नापतौल की कार्यवाही पूर्ण करायी।



उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 एवं अधिसूचना दिनांक 15 अगस्त, 2018 के तहत निर्गत माह फरवरी 2020 में की गयी कार्यवाही-

जप्त की गयी कुल सामग्री	कुल जुर्माना (रु0)
232 किलो 95 ग्राम	136000.00

कर्मचारी सेवानिवृत्ति : नगर निगम, आगरा में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त देय भुगतानों के लिए एवं पेंशन स्वीकृति के लिये कार्यालय के चक्कर लगाना न पड़े। इस हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समस्त देयों के भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके हस्तगत किये जाते हैं।

माह फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत्त देय भुगतान के बैक एवं पी0पी0ओ0 वितरित किये गये। कुल 6 सेवानिवृत्त कर्मचारी को विदाई समारोह में फूलमाला एवं शॉल पहना कर सम्मानित किया गया और कुल धनराशि रु. 7502403.00 का बैक वितरण किया गया।